अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उपयोग विधि के कार्यों में नहीं किया जायेगा।

I. <u>नये आयकर विधेयक का व्यापक दायरा</u>

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न I.1 वर्तमान आयकर अधिनियम कब पारित किया गया?

उत्तर: वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 में अधिनियमित किया गया था और दिनांक 01.04.1962 से अस्तित्व में आया। कराधान नीति में संशोधनों की उभरती आवश्यकताओं के आधार पर वित्त अधिनियमों के माध्यम से वर्ष दर वर्ष 4000 से अधिक संशोधनों के साथ इसमें लगभग 65 बार संशोधन किया गया है।

प्रश्न I.2 आयकर अधिनियम 1961 के संबंध में क्या चिंताएं व्यक्त की गई हैं?

उत्तर: कर प्रशासकों, व्यवसायिकों और करदाताओं ने समग्र कर प्रशासन और अर्थव्यवस्था में आयकर अधिनियम, 1961 के योगदान को स्वीकार किया है। हालांकि, समय के साथ-साथ संशोधनों की बड़ी संख्या, जटिल भाषा, विस्तृत उपबंधों, अनावश्यकताओं और आयकर अधिनियम की भारी संरचना पर चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं।

प्रश्न I.3 अन्य अधिनियमों की तुलना में आयकर अधिनियम में नियमित संशोधन के क्या कारण हैं

उत्तर: आयकर अधिनियम एक गतिशील कानून है, जिसे देश की बदलती आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं को दर्शाने के लिए नियमित रूप से अद्यतन और संशोधन की आवश्यकता होती है। आपराधिक और अन्य नागरिक कानूनों में इस तरह के लगातार अद्यतन और संशोधन नहीं होते हैं, जबकि आयकर अधिनियम को आर्थिक परिवर्तनों, राजकोषीय नीतियों और सरकारी प्राथमिकताओं को दर्शाने के लिए नियमित रूप से (वार्षिक आधार पर) अद्यतन किया जाता है। इसलिए, यह अर्थव्यवस्था, व्यावसायिक वातावरण, मुद्रास्फीति दरों, आय स्रोतों और वैश्विक वित्तीय रुझानों में होने वाले बदलावों के अनुकूल होता है। सरकार ने राजस्व संग्रह और कर आधार को व्यापक/गहन बनाने की आवश्यकताओं के साथ संतुलन बनाते हुए अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए कर सुधार पेश किए हैं। कराधान और आर्थिक स्थितियों से इसके सीधे संबंध को देखते हुए, अधिनियम को बदलती आर्थिक नीतियों, बदलती आय, मुद्रास्फीति और उभरते उद्योगों को प्रतिबिंबित करने के लिए अधिक अनुकूल होने की आवश्यकता है। आयकर अधिनियम की गतिशील प्रकृति इसे नए आर्थिक रुझानों को समायोजित करने के लिए लचीला बनाती है (जैसे, कूटमुद्रा (क्रिप्टोकरेंसी) का कराधान, या डिजिटल व्यवसाय (डिजिटल बिजनेस) का कराधान ।

उदाहरण:

i. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, 80जज, 80जजग जैसे विशिष्ट उपबंध क़ानून में शामिल किए गए थे।
ii. बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 80झक को शामिल किया गया।
iii. सॉफ्टवेयर निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए धारा 80जजङ, 10क और 10कक शुरू की गईं।
iv. धारा 80झकग स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने का एक और उदाहरण है।

प्रश्न I.4 आयकर अधिनियम 1961 समय के साथ बृहद क्यों हो गया है?

उत्तर: आयकर कानून समय के साथ-साथ इसकी प्रारूपण की पारंपरिक शैली और कई संशोधनों के कारण बहुत अधिक जटिल होता गया है। वर्तमान अधिनियम में भाषा की जटिलता विभिन्न कारकों का परिणाम है। कुछ न्यायिक निर्णयों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए, विधायी आशय को स्पष्ट करने हेतु अक्सर स्पष्टीकरण और उपबंध जोड़े गए हैं। कई बार कराधान प्राथमिकताओं में बदलाव के कारण एक अन्यथा सरल उपबंध में अतिरिक्त पाठ भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, पहले के वर्षों से लंबित दावों/मुद्दों के मद्देनजर, कुछ उपबंध प्रचलन के समाप्त होने के बाद भी कानून में बने रहे हैं।

प्रश्न I.5 पूर्व में सरलीकरण के क्या प्रयास किये गये हैं?

उत्तर: आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिए वर्ष 2009 और 2019 के आलावा पहले भी प्रयास किए गए हैं। नीति के संबंध में, इन प्रयासों से प्राप्त सिफारिशों पर समय-समय पर किए गए संशोधनों में विचार किया गया है

प्रश्न I.6 क्या वर्तमान सरलीकरण प्रयास में अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय अनुभव पर विचार किया गया है जिन्होंने इसी प्रकार का प्रयास किया है?

उत्तर: कर कानूनों के सरलीकरण पर विश्व स्तर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विभिन्न देशों ने अपने कर कानूनों में स्पष्टता और अनुपालन बढ़ाने के लिए इसी तरह की पहल की है।

यूनाइटेड किंगडम में, भाषा को सरल बनाने के लिए 1994 से 2010 की अवधि के दौरान ऐसा प्रयास किया गया था। सरलीकरण से पहले, यू.के. आय और निगम कर अधिनियम 1988 में 960 पृष्ठ थे। हालाँकि, सरलीकरण के बाद, इसे पाँच अलग-अलग अधिनियमों में

विभाजित किया गया, जिनकी पृष्ठ संख्या में काफी वृद्धि हुई , जिसके फलस्वरूप उनका कर कानून एक अधिक भागों वाला तथा समग्र रूप से बड़ा निकाय बन गया।

इसी प्रकार, 1994 से 1997 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई गई, जहां भाषा के सरलीकरण के परिणामस्वरूप कर संहिता भी लंबी और बृहताकार हो गई।

ये अंतरराष्ट्रीय अनुभव सरलीकरण और स्पष्ट, सुस्पष्ट कानूनी भाषा की आवश्यकता के बीच सूक्ष्म संतुलन पर जोर देते हैं। इन प्रयासों से सीख लेते हुए इस बार, न केवल भाषायी सरलीकरण अपितु संरचनात्मक युक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है।

प्रश्न I.7 नये आयकर विधेयक के लिए किये **जाने वाले प्रयास का कार्य क्षेत्र क्या है?**

उत्तर: जुलाई 2024 में बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा का उद्देश्य अधिनियम को *"संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में सरल"* बनाना है।

प्रश्न I.8 मौजूदा उपबंधों को संक्षिप्त, सुस्पष्ट, पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए क्या आधारभूत नियम निर्धारित किए गए हैं?

उत्तर: मौजूदा उपबंधों को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित आधारभूत नियमों पर विचार किया गया है

i. विधेयक में अनावश्यक उपबंधों को समाप्त करने का प्रस्ताव है, जिससे इसकी लंबाई लगभग आधी रह जाएगी।
ii. नए विधेयक की प्रारूपण शैली सीधी और स्पष्ट है, जिससे आयकर अधिनियम, 1961 में 18 तालिकाओं की तुलना में 57 से अधिक तालिकाओं को शामिल करके उपबंधों को समझना आसान हो गया है। अपवादों और विलगन निर्दिष्ट करने के लिए परंतुकों और स्पष्टीकरणों पर निर्भर रहने के बजाय उप-धाराओं और खंडों का उपयोग किया गया है। यह एक ही परिदृश्य से संबंधित सभी लागू उपबंधों को एक ही स्थान पर एकत्रित करके संप्रति संदर्भ और विरोधों को कम करता है।
iii. सभी 'परन्तुक' से शुरू होने वाले उपबंध (प्रोवाइजो), जो लगभग 1200 थे, तथा स्पष्टीकरण (लगभग 900) हटा दिए गए हैं।
iv. 1961 के अधिनियम में धाराओं, उप-धाराओं, खंडों, उप-खंडों, मदों और उप-मदों के लिए कई प्रति-संदर्भ हैं, जिससे उपबंधों की व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। नया विधेयक एक सरलीकृत संदर्भ प्रणाली को अपनाता है, जिससे केवल धारा का उल्लेख करके उपबंधों का हवाला दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, नए विधेयक

में धारा 133 (1) (ख) (ii) मौजूदा अधिनियम में धारा 133 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) को इंगित करेगी। यह परिवर्तन अधिनियम की भाषा को समझने में आसान बनाती है।

v. विधेयक का एक महत्वपूर्ण पहलू 'पिछले वर्ष' (प्रीवियस ईयर) और 'निर्धारण वर्ष' (असेसमेंट ईयर) की अवधारणाओं को समाप्त करना है। 1989 से पहले, 'पिछले वर्ष' और 'निर्धारण वर्ष' की अवधारणा इसलिए लाई गई थी क्योंकि करदाता प्रत्येक आय स्रोत के लिए अलग-अलग बारह महीने के पिछले वर्ष रख सकते थे। 1 अप्रैल 1989 से, सभी मामलों में पिछले वर्ष को एक वित्तीय वर्ष के साथ संरेखित किया गया। हालाँकि, अधिनियम के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए 'निर्धारण वर्ष' का उपयोग जारी रहा। इस प्रकार, एक करदाता को दो अलग-अलग अवधियों, यानी 'पिछले वर्ष' के साथ-साथ 'निर्धारण वर्ष' को ट्रैक करना आवश्यक था। इससे अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने में मुश्किलें आईं, खासकर एक नए करदाता के लिए, जिसे 'पिछले वर्ष', 'निर्धारण वर्ष' के साथ-साथ 'वित्तीय वर्ष' का भी ट्रैक रखना पड़ता था।

प्रश्न I.9 क्या नये विधेयक का मसौदा तैयार करते समय हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया गया है?

उत्तर: सरलीकरण प्रयास के अंतर्गत एक व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई गई। सरलीकरण और अनावश्यकताओं को हटाने के लिए कुल 20,976 ऑनलाइन सुझाव प्राप्त हुए, उनका विश्लेषण किया गया और प्रासंगिक सुझावों को नीति-संबंधी, भाषा सरलीकरण, अनावश्यक या अप्रचलित उपबंधों को हटाने आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया। इस कार्य हेतु आयकर विभाग द्वारा उद्योग और पेशेवर संघों के साथ बैठकें की गईं और क्षेत्रीय स्तर पर विचार-विमर्श सत्र आयोजित किए गए।

साथ ही, कुछ ऐसे कराधान प्राधिकरणों के साथ परामर्श किया गया, जिन्होंने हाल ही में इसी प्रकार के प्रयास किये थे, जैसे ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस एंड ट्रेज़री, तथा ब्रिटेन का ऑफिस ऑफ टैक्स सिम्पलीफिकेशन।

इस प्रयास के दौरान 2009 और 2019 में तैयार किए गए दस्तावेजों का भी संदर्भ लिया गया। कानूनी भाषा के सरलीकरण के लिए विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा जारी 'कानूनों के सरलीकरण के लिए मसौदा तैयार करने संबंधी मार्गदर्शिका' जैसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गदर्शन सामग्री का अध्ययन किया गया।

प्रश्न I.10. सरलीकरण अभ्यास के संचालन में क्या कवायदें अपनाई गईं?

उत्तर: प्रश्न 1.9 में उल्लिखित हितधारक अभ्यास के अलावा, करदाताओं, उद्योग और व्यावसायिक संघों और विभाग के क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों से सुझाव मांगे गए थे। विभाग के लगभग 150 अधिकारियों की एक समिति पूरी कवायद में सक्रिय रूप से शामिल थी। समिति ने विभिन्न अध्यायों का मसौदा पाठ तैयार किया, जिसकी विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा सावधानीपूर्वक विधीक्षा की गई और आवश्यक अनुमोदन के बाद अंतिम विधेयक के रूप में समेकित किया गया।

नये विधेयक को अंतिम रूप देने के लिए टीम द्वारा 60,000 से अधिक श्रम-घंटे समर्पित किये गए।

प्रश्न I.11 नये विधेयक में पठनीयता में किस प्रकार सुधार हुआ है?

उत्तर: पारंपरिक कानूनी भाषा के बजाय सरल भाषा का उपयोग करके कर कानून की पठनीयता में सुधार किया गया है। जहाँ कई स्थितियाँ शामिल की गई हैं, वहाँ धाराओं को गणनात्मक बनाया गया है। जहाँ भी संभव हो, तालिका प्रारूपों का व्यापक उपयोग किया गया है। टीडीएस उपबंधों को सारणीबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया है। धारा 10 जैसे कुछ उपबंध, जिसमें लगभग 150 खंड शामिल थे, को अनुसूचियों में रखा गया है और तालिकाओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस व्यापक प्रयास के परिणामस्वरूप, एक ओर जहां नये विधेयक का आकार लगभग आधा रह गया है, वहीं दूसरी ओर, उपबंधों को समेकित कर उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्न I.12 मौजूदा अधिनियम में अनेक 'उपबंधों', 'स्पष्टीकरणों' तथा प्रक्रियात्मक पहलुओं का क्या समाधान किया गया **है?**

उत्तर: परंतुक (1200 से अधिक) और स्पष्टीकरण (900 से अधिक) हटा दिए गए हैं, तथा उनकी सरलीकृत विषय-वस्तु को उप-धाराओं या खंडों के रूप में रखा गया है। जहाँ भी संभव हो, प्रक्रियात्मक पहलुओं और विशिष्ट विवरणों को नियमों के माध्यम से उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

प्रश्न I.13. क्या नये आयकर विधेयक में आयकर अधिनियम 1961 के अनावश्यक उपबंधों को हटा दिया गया है?

उत्तर: जी हां। पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधनों और/या नीतिगत बदलावों के कारण कुछ उपबंध निरर्थक हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप अधिनियम में ऐसे कई उपबंध शामिल हो गए हैं। उदाहरण के लिए, धारा 10क के तहत कटौती, जो मुक्त व्यापार क्षेत्रों में नव स्थापित औद्योगिक उपक्रमों के लिए एक विशेष उपबंध था, अब निर्धारण वर्ष 2012-13 से उपलब्ध नहीं है। ऐसे अप्रचलित उपबंधों को विधेयक के पाठ से हटा दिया गया है। हालांकि, पहले के निर्धारण वर्षों के लिए लागू उपबंध निरसन और व्यावृत्ति उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

प्रश्न I.14. नये विधेयक में स्पष्टता बढ़ाने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर: नए विधेयक में स्पष्टता बढ़ाने के लिए 'परन्तुकों' (प्रोवाइजो), 'स्पष्टीकरण' और अनावश्यक उपबंधों को हटाने के अलावा, सूत्रों, तालिकाओं और संरचनाओं का उपयोग किया गया है। जहाँ तक संभव हो, मौजूदा अधिनियम में विभिन्न अध्यायों में मौजूद समान मुद्दों से जुड़े उपबंधों को अब समेकित कर दिया गया है। अनावश्यकता को हटा दिया गया है और कई स्थानों पर परिभाषाओं को समेकित किया गया है।

गैर-लाभकारी संगठनों (एनपीओ) से संबंधित उपबंधों के मामले में, एनपीओ से संबंधित संपूर्ण पाठ को समेकित किया गया है और इसे 7 उप-भागों में संरचित किया गया है, जिसमें पंजीकरण, आय, वाणिज्यिक गतिविधियां, अनुपालन, उल्लंघन, दान की पात्रता के प्रयोजनों के लिए पंजीकरण और व्याख्या से संबंधित उपबंध शामिल हैं।

प्रश्न I.15. नये आयकर विधेयक के प्रारूपण में कर निश्चितता के सिद्धांतों का किस प्रकार पालन किया गया है?

उत्तर: नए आयकर विधेयक की लंबाई मौजूदा आयकर अधिनियम 1961 से लगभग आधी है, जिसमें विभिन्न धाराओं में उपबंधों का महत्वपूर्ण पुनर्गठन किया गया है। सरलीकरण करते समय, मुकदमेबाजी और नई व्याख्याओं के कार्य क्षेत्र को कम करने के लिए एक जागरुक प्रयास किया गया है। इस प्रयोजनार्थ:

क. मुख्य शब्दों/वाक्यांशों को, विशेषकर जहां न्यायालयों ने निर्णय दिए हैं, को न्यूनतम संशोधनों के साथ यथावत रखा गया है।

ख. जहाँ तक संभव हो सका, छोटे वाक्यों का प्रयोग करके भाषा को सरल बनाया गया है।

ग. धाराओं को तालिकाओं में पंक्ति या उप-पंक्तियों में अनुदित किया गया है, जिससे शब्दों की संख्या कम हो गई है और स्पष्टता आई है।

घ. एकाधिक व्याख्याओं की गुंजाइश को कम करने के लिए उपबंध स्पष्ट किए गए हैं। परंतुकों और स्पष्टीकरणों को हटा दिया गया है और सरलीकृत सामग्री को उप-धाराओं और खंडों के रूप में रखा गया है।

ङ. कर निश्चितता सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कराधान से संबंधित उपबंधों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है।

च. सरल भाषा के प्रयोग से एनपीओ (गैर-लाभार्थी संगठन) अध्याय को अधिक व्यापक बनाया गया है।

छ. छूट संबंधी धाराओं, उदाहरण के लिए वर्तमान अधिनियम में धारा 10 को तालिकाओं के माध्यम से और बड़ी संख्या में उपबंधों को अनुसूचियों में रखकर सरल बना दिया गया है।

ज. जहां भी संभव हो, स्पष्टता बढ़ाने के लिए सूत्रों और तालिकाओं का उपयोग किया गया है।

झ. मौजूदा अधिनियम के विभिन्न अध्यायों में मौजूद समान मुद्दों और परिभाषाओं से संबंधित उपबंधों को, यथासंभव समेकित किया गया है।

प्रश्न I.16. अध्यायों, धाराओं और शब्दों की संख्या के संदर्भ में नये विधेयक की आयकर अधिनियम, 1961 से किस प्रकार तुलना होती है?

उत्तर: मौजूदा आयकर अधिनियम की तुलना में नए विधेयक के पाठ में काफी कमी की गई है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है।

विवरण	**आयकर अधिनियम, 1961**	**प्रस्तावित अधिनियम**
अध्याय	47	23
धारा	819*	536
शब्द	5.12 लाख	2.60 लाख

* प्रभावी धाराएं

इसके अलावा लगभग **1200** परंतुक और 900 स्पष्टीकरण हटा दिए गए हैं।

प्रश्न I.17. इस कथन का आधार क्या है कि आयकर अधिनियम, 1961 में 819 धाराएं हैं, जबकि अधिनियम के पाठ में केवल 298 तक धाराओं का उल्लेख है?

उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 में अनेक संशोधनों के दौरान, अनेक नीतिगत निर्णयों को अलग प्रावधानों के रूप में शामिल किया गया था। कई बार ऐसे प्रावधानों को पहले से मौजूद धाराओं से जोड़ दिया गया और तदनुसार नई धाराओं को मौजूदा धाराओं के क्रम में क्रमांकित किया गया। उदाहरण के लिए, विशेष मामलों में कराधान (Tax on Special Cases) से संबंधित कई प्रावधान 115 श्रृंखला (जैसे धारा 115AC, 115AD, 115JB, 115VP आदि) के रूप में जोड़े गए। इस तरह के समावेशों के परिणामस्वरूप, आयकर अधिनियम, 1961 में विद्यमान प्रभावी धाराएँ 819 हैं।

प्रश्न I.18. नये विधेयक में अभी भी 536 धाराएं और 2.6 लाख शब्द क्यों हैं?

उत्तर: जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम में 298 क्रमांकित धाराएँ हैं, वर्तमान अधिनियम में प्रभावी धाराएँ 819 हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संख्यात्मक धारा संख्याओं के अलावा अल्फा-न्यूमेरिक कोड वाली कई धाराएँ हैं जैसे 115क से 115बड (117 धाराएँ) इत्यादि। आयकर अधिनियम न केवल कराधान से संबंधित है बल्कि यह एक व्यापक दस्तावेज़ है, जिसमें कर प्रशासन के सभी पहलू शामिल हैं। इसमें अन्य पहलू भी शामिल हैं जैसे-

(क) प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, निर्धारण अधिकारियों, करदाताओं, कर कटौतीकर्ताओं और पेशेवरों आदि के लिए भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निर्धारित करना;

(ख) आय निर्धारण, समय-सीमा, अपीलीय प्रक्रिया, प्रवर्तन, निर्धारण और दंड के लिए रूपरेखा निर्धारित करना; तथा

(ग) आर्थिक नीतियों पर प्रभाव को ध्यान में रखना , जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेश को प्रभावित करता है।

नए विधेयक में उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए 536 धाराएँ प्रस्तावित हैं। इसके अलावा, नए विधेयक में कई धाराएँ मुख्य रूप से मौजूदा कर व्यवस्था के तहत प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए मौजूद हैं, जिसमें न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी), विभिन्न कटौतियां और छूट आदि से संबंधित उपबंध शामिल हैं। ये उपबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उनके संबंधित समाप्ति अवधि (Sunset Clause) लागू नहीं हो जाती। इसलिए, कानूनी और नीतिगत निरंतरता बनाए रखते हुए एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए इनका नए विधेयक का हिस्सा होना आवश्यक है।

प्रश्न I.19. क्या सरलीकरण के प्रयास के फलस्वरूप कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है?

उत्तर: सरलीकरण प्रक्रिया में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पहलू शामिल हैं:

i. आयकर अधिनियम के अनावश्यक उपबंधों को हटा दिया गया है;
ii. उपखंडों और उपधाराओं का उपयोग किया गया है, ताकि अपवादों और विशिष्टताओं के लिए केवल उपवाक्यों (provisos) और स्पष्टीकरणों पर निर्भर न रहना पड़े;धाराओं, उप-धाराओं, खंडों आदि के प्रति-संदर्भों के लिए सरलीकृत प्रणाली का उपयोग किया गया है;
iii. स्पष्टता बढ़ाने के लिए तालिकाओं, फार्मूलों का व्यापक उपयोग किया गया है।

किसी एक विषय से संबंधित प्रावधानों को, जो विभिन्न धाराओं/अध्यायों में बिखरे हुए थे, समेकित (consolidate) किया गया है।चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 में नियमित संशोधन किए जाते रहे हैं, जिनमें वित्त विधेयक, 2025 में प्रस्तावित संशोधन भी शामिल हैं, इसलिए नीतिगत दृष्टिकोण से अधिनियम अद्यतन है। वित्त विधेयक 2025 तक प्रस्तावित सभी संशोधनों को नए आयकर विधेयक 2025 में विधिवत रूप से शामिल किया गया है। इसलिए, जबकि विधेयक में कोई बड़ा नीतिगत परिवर्तन नहीं किया गया है, उपर्युक्त पहलुओं ने विद्यमान कानून में 'महत्वपूर्ण' परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं।

प्रश्न I.20. क्या पुरानी और नई धाराओं का कोई मानचित्रण (मैपिंग) उपलब्ध होगा?

उत्तर: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अनुभाग वार मैपिंग उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रश्न I.21. नये विधेयक में 'पिछले वर्ष' और 'निर्धारण वर्ष' को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है?

उत्तर: नए विधेयक में 'पिछले वर्ष' और 'निर्धारण वर्ष' के स्थान पर 'कर वर्ष' (Tax Year) की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। विधेयक में समय-सीमा और संगणना अब उस वित्तीय वर्ष के संदर्भ में है जिसके लिए आय पर कर लगाया जाना है। यह अपेक्षा की जाती है कि 'कर वर्ष' के उपयोग से नए विधेयक को समझना आसान हो जाएगा। इसके अलावा, दुनिया के कई तुलनायोग्य कर क्षेत्राधिकार कराधान की इकाई अवधि को दर्शाने के उद्देश्य से एक ही शब्द का उपयोग कर रहे हैं। 'कर वर्ष' का उपयोग आमतौर पर कई देशों में किया जाता है।

'कर वर्ष' की शुरूआत के साथ, मुख्य तौर पर निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया गया है:

i. 'कर वर्ष': कराधान की इकाई अवधि। इस शब्द का प्रयोग उस अवधि के सभी लेन-देन और आय के संबंध में किया जाएगा।

ii. 'वित्तीय वर्ष': अनुपालन के लिए समयसीमा और प्रक्रियात्मक मुद्दों के प्रयोजनों के लिए।

प्रश्न I.22 नये विधेयक में टीडीएस और टीसीएस के उपबंधों को किस प्रकार सरल बनाया गया है?

उत्तर: तालिकाएं उपलब्ध करके टीडीएस और टीसीएस उपबंधों को समझाना आसान बना दिया गया है। निवासियों और गैर-निवासियों को किए गए भुगतान तथा जहां स्रोत पर कटौती की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए अलग-अलग तालिकाएं प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए, किराए पर टीडीएस से संबंधित प्रस्तावित उपबंध नीचे दिखाए गए हैं:

2.	**किराया**		
क्र. सं.	**आय या राशि की प्रकृति**	**भुगतानकर्ता**	**दर** सीमा - रेखा
(मैं)	किराये के रूप में आय	निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति	दर: 2% सीमा - रेखा: एक माह या एक माह के कुछ भाग के लिए 50,000 रुपये

(इस संबंध में विधेयक की प्रस्तावित धारा 393 की तालिका का संदर्भ लिया जा सकता है।)

प्रश्न I.23. गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित उपबंधों को सरल बनाने के लिए क्या किया गया है?

उत्तर: गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित उपबंध इस अधिनियम में अलग-अलग जगहों पर मौजूद थे, जैसे किधारा 11, धारा 12, धारा 12क (12A), धारा 12कक (12AA), धारा 12कख (12AB), धारा 13, धारा 115खखग (115BBC) धारा 115खखझ (115BBI), धारा 115नध (115TD), धारा 115नङ (115TE), धारा 115नच (115TF) में। अनुमोदन से

संबंधित प्रावधान धारा 80छ (5) [80G(5)] के पहले और दूसरे उपबंध के अंतर्गत हैं। इन्हें सरलीकृत करके एक अध्याय में समेकित किया गया है। पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठनों से संबंधित सभी प्रावधानों को अब नए विधेयक में अध्याय XVII के भाग *ख* में व्यवस्थित किया गया है जिसका शीर्षक है " *ख.--पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के लिए विशेष* प्रावधान"

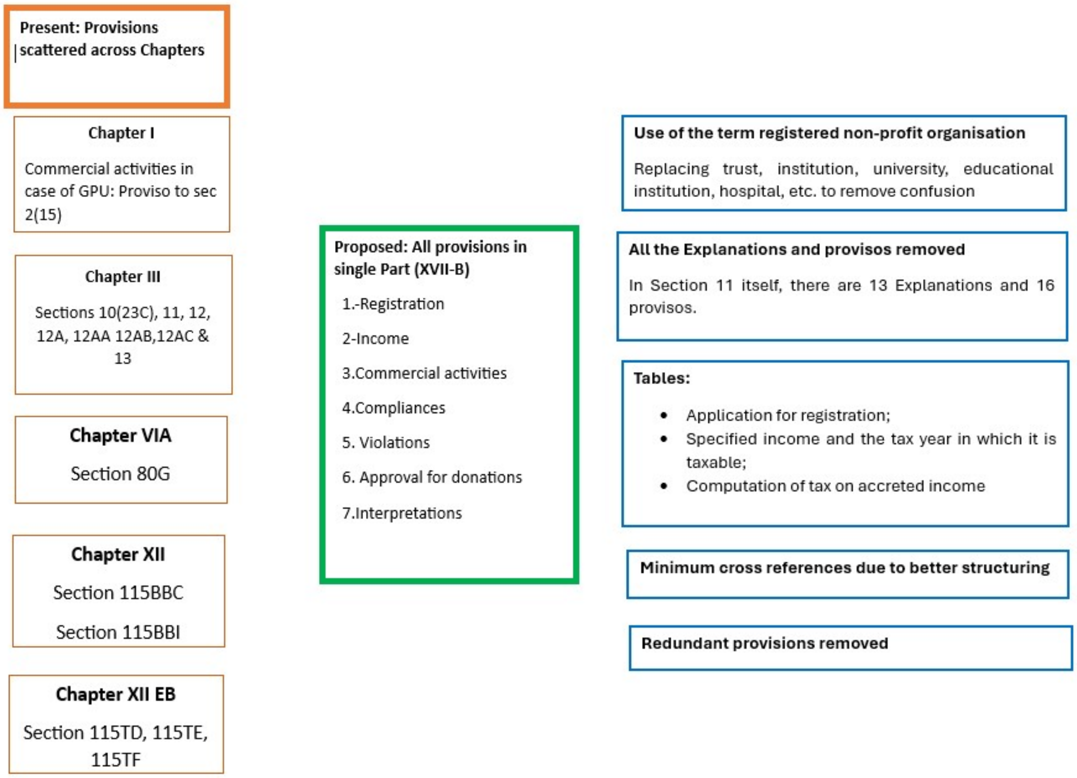

प्रश्न I.24. नये विधेयक में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए क्या सरलीकरण किया गया है?

उत्तर: वेतन से संबंधित सभी प्रावधानों को समझने में आसानी के लिए एक ही स्थान पर समेकित किया गया है ताकि करदाता को अपनी आयकर विवरणी दाखिल करने के लिए अलग-अलग अध्यायों को देखने की आवश्यकता न पड़े। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के तहत पहले जिन कटौतियों की अनुमति थी, जैसे कि ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन का संगणना, वीआरएस पर मुआवजा और छंटनी मुआवजा, अब वेतन अध्याय का ही हिस्सा हैं। एचआरए जैसे कुछ भत्ते अब नए विधेयक की अनुसूची II में दिए गए हैं जिनका संदर्भ वेतन से संबंधित प्रावधानों में किया गया है। इसका उद्देश्य तालिकाओं और सूत्रों के माध्यम से प्रावधानों की सपष्टता तथा पठनीयता में सुधार लाना है ।

जबकि अधिनियम में सभी परिलाभों (Perquisites) की कर प्रभार्यता को बरकरार रखा गया है, लेकिन उनके निर्धारण, शर्तों और अपवादों को नियमों में स्थानांतरित कर दिया गया है, क्योंकि वे हर करदाता को प्रभावित नहीं करते हैं। इसी तरह, बेहतर पठनीयता के लिए अनावश्यक और दोहराए गए प्रावधानों को भी हटा दिया गया है।

प्रश्न I.25 विशिष्ट आय और व्यक्तियों के लिए दी जाने वाली छूटों में क्या परिवर्तन किए जा रहे हैं?

उत्तर: विशिष्ट आय और व्यक्तियों के लिए छूट से संबंधित प्रावधानों को अलग-अलग अनुसूचियों (Schedules) में स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि उन्हें आसानी से संदर्भित किया जा सके और अनुपालन को सरल बनाया जा सके, जो निम्नानुसार है:

अनुसूची II (16 पंक्तियाँ)	•कृषि आय जैसी छूट प्राप्त आय
अनुसूची III (39 पंक्तियाँ)	•कुछ व्यक्ति कुछ आय पर छूट के लिए पात्र हैं, जैसे फर्मों के साझेदार और एचयूएफ आदि
अनुसूची IV (14 पंक्तियाँ)	•गैर-निवासियों को छूट
अनुसूची V (8 पंक्तियाँ)	•व्यावसायिक ट्रस्टों, सॉवरेन वेल्थ फंडों आदि को छूट
अनुसूची VI (12 पंक्तियाँ)	•आईएफएससी इकाइयों को छूट
अनुसूची VII (48 पंक्तियाँ)	•कर से छूट प्राप्त व्यक्ति

अनुसूचियों का एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	**पात्र व्यक्ति**	**स्थितियाँ**
क	**ख**	**ग**
1.	संघ के सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित कोई भी रेजिमेंटल निधि या गैर-सार्वजनिक निधि	यह निधि सशस्त्र बलों के पूर्व एवं वर्तमान सदस्यों अथवा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए है।

(विधेयक की धारा 11 में अनुसूचियों का संदर्भ दिया गया है)

प्रश्न I.26. नये विधेयक के प्रस्तुत होने के बाद अगले कदम क्या होंगे?

उत्तर: चरण 1: विधेयक संसद द्वारा पारित किया जाता है और अधिनियम बन जाता है

चरण 2: परिचालनात्मक और और प्रत्यायोजित विधायी ढांचा

i. नये नियमों एवं प्रपत्रों की अधिसूचना।
ii. विभिन्न प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक कार्यों के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर विकास का समानांतर कार्य।

प्रश्न I.27. पुराने और नये उपबंध किस प्रकार सह-अस्तित्व में रहेंगे?

उत्तर: संबंधित वर्षों के अनुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उल्लेख विधेयक में 'निरसन और संरक्षण' (Repeals and Savings) खंड में किया गया है, जिससे पुराने कानून के तहत प्राप्त सभी अधिकारों एवं देयताओं की सुरक्षा होगी।

प्रश्न I.28 नये विधेयक में दरों और अन्य नीति में क्या बदलाव हैं?

उत्तर: दरों से संबंधित कोई बदलाव नहीं है। चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 में वित्त विधेयक, 2025 में प्रस्तावित संशोधनों सहित नियमित संशोधन हुए हैं, इसलिए नीतिगत दृष्टिकोण से अधिनियम अद्यतन है। वित्त विधेयक 2025 तक प्रस्तावित सभी संशोधनों को नए आयकर विधेयक 2025 में विधिवत शामिल किया गया है। अतः, यद्यपि विधेयक में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं किया गया है, उपर्युक्त पहलुओं ने विद्यमान कानून में 'महत्वपूर्ण' बदलाव प्रस्तावित किए हैं।

प्रश्न I.29. ऐसा क्यों है कि नए आयकर विधेयक और पहले के उपबंधों की तुलना करने पर यह पाया जाता है कि कुछ मामलों में, जैसे 'वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों' आदि में कुछ परिवर्तन हैं?

उत्तर: आयकर विधेयक 2025 में वित्त विधेयक 2025 में प्रस्तावित सभी संशोधन भी शामिल हैं। इसलिए, उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे आयकर विधेयक, 2025 को पढ़ते समय वित्त विधेयक 2025 में प्रस्तावित संशोधनों के साथ अद्यतन आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की तुलना करें। इसलिए, आयकर विधेयक, 2025 के अंतर्गत 'आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों' के कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं है। विधेयक के तहत परिभाषा में वित्त विधेयक, 2025 के तहत पहले से प्रस्तावित संशोधन शामिल है।

प्रश्न I.30. आयकर अधिनियम, 1961 के किन अध्यायों में सरलीकरण कवायद प्रक्रिया के परिणामस्वरूप शब्दों की बड़ी मात्रा में कटौती की गई है?

उत्तर: जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नए आयकर विधेयक, 2025 में कुल शब्द लगभग 2.6 लाख हैं, जबकि आयकर अधिनियम, 1961 में 5.12 लाख शब्द थे। कुछ अध्याय जिनमें शब्दों में पर्याप्त कमी हुई है, वे नीचे दिए गए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961		**आयकर विधेयक, 2025**		**शब्दों में कमी**
विषय	**शब्द**	**विषय**	**शब्द**	
छूट संबंधी उपबंध	30000	छूट संबंधी उपबंध	13500	16500
टीडीएस/टीसीएस	27453	टीडीएस/टीसीएस	14606	12847
गैर-लाभकारी संगठन	12800	गैर-लाभकारी संगठन	7600	5200